

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA  
THIRUVANANTHAPURAM

सं. लेप II/प्रशा./विविध/ 14-1/2023-24/  
No.Au.II/Admn//Misc/14-12023-24/

दिनांक: 15.01.2024

कार्यालय आदेश सं./ OFFICE ORDER No.06

विषय: लेखापरीक्षा एककों का क्लस्टर आधारित विभाजन – मुख्यालय कार्यालय आदेशों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त निदेश।

**Sub:** Cluster based bifurcation of audit units – further directions for conformity with Headquarters Office Orders.

निम्न आदेश तत्काल प्रभाव के साथ जारी किए जाते हैं।

The following orders are issued with immediate effect.

1. मोटोर वाहन विभाग (एमवीडी) के अंतर्गत एककों के संबंध में क्षेत्रीय दौरे एएमजी I से एएमजी II में केवल एमवीडी तथा अन्य विभागों की लेखापरीक्षा के लिए स्थानांतरित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) तथा सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) से युक्त एक टीम द्वारा आयोजित किए जाएंगे। एमवीडी एककों से संबंधित मसौदा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों का निर्गम, ऐसे रिपोर्टों का अनुसरण आदि, समूह अधिकारी / एएमजी II के पर्यवेक्षण के अधीन एएमजी II (मुख्या.) में, एएमजी I से स्थानांतरित सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैनात वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहा.पर्यवेक्षक/लेखापरीक्षक के साथ-साथ किया जाएगा। लेखापरीक्षा पैराएं यदि कोई हो तो रिपोर्ट /एएमजी I में संसाधित और प्रकाशित किए जाएंगे।

Field visit in respect of units under Motor Vehicles Department (MVD) shall be conducted by a team consisting of SAO (Civil) and AAO (Civil) transferred from AMG I to AMG II exclusively for audit of MVD and other departments.

Vetting of Draft Inspection Reports, issue of Local Audit Reports, pursuance of such reports etc. in respect of MVD units shall be done at AMG II (IIQ) by the AAO (Civil) transferred from AMG I along with the Sr.Auditor/Asst.Supervisor/Auditor for the purpose under the supervision of Group Officer / AMG II.

The Audit paras, if any, will be processed and featured in Report/AMG I.

2. एएमजी I के अंतर्गत आनेवाले सा.क्षे.उपक्रमों / विभागीय उपक्रमों से संबंधित क्षेत्रीय दौरे जब भी आवश्यकता हो वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) तथा सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) से युक्त एक टीम द्वारा आयोजित किए जाएंगे। ऐसे एककों से संबंधित मसौदा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों का निर्गम, ऐसे रिपोर्टों का अनुसरण, सा.क्षे.उपक्रमों से संबंधित वित्तीय विवरणों की संवीक्षा, मसौदा टिप्पणियों का संसाधन, टिप्पणी प्रमाण-पत्र का निर्गम आदि समूह अधिकारी / एएमजी I के पर्यवेक्षण के अधीन एएमजी II (मुख्या.) में किए जाएंगे। लेखापरीक्षा पैराएं यदि कोई हो, तो रिपोर्ट /एएमजी II में संसाधित और प्रकाशित किए जाएंगे।

Field visit in respect of PSUs/Departmental undertakings coming under AMG I shall be conducted by a team consisting of SAO (Commercial) and AAO (Commercial) as and when required.

Vetting of Draft Inspection Reports, issue of Local Audit Reports, pursuance of such reports, Scrutiny of Financial Statements of PSUs, Processing of Draft Comments, issue of

Comment Certificate *etc.* in respect of such units shall be done at AMG II (HQ) under the supervision of Group Officer/AMG I. The Audit paras, if any, will be processed and featured in Report/AMG II.

3. एमजी III के अंतर्गत आनेवाले सा.क्षे.उपक्रमों से संबंधित क्षेत्रीय दौरे जब भी आवश्यकता हो लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) तथा सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) से युक्त एक टीम द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

ऐसे एककों से संबंधित मसैदा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों का निर्गम, ऐसे रिपोर्टों का अनुसरण, सा.क्षे.उपक्रमों से संबंधित वित्तीय विवरणों की संवीक्षा, मसैदा टिप्पणियों का संसाधन, टिप्पणी प्रमाण-पत्र का निर्गम आदि समूह अधिकारी / एमजी III के पर्यवेक्षण के अधीन एमजी II (मुख्या.) में किए जाएंगे। लेखापरीक्षा पैराएं यदि कोई हो, तो रिपोर्ट/एमजी II में संसाधित और प्रकाशित किए जाएंगे।

Field visit in respect of PSUs coming under AMG III shall be conducted by a team consisting of SAO (Commercial) and AAO (Commercial) as and when required.

Vetting of Draft Inspection Reports, issue of Local Audit Reports, pursuance of such reports, Scrutiny of Financial Statements of PSUs, Processing of Draft Comments, issue of Comment Certificate *etc.* in respect of such units shall be done at AMG II (HQ) under the supervision of Group Officer/AMG III. The Audit paras, if any, will be processed and featured in Report/AMG II.

4. बिजली विभाग, इलक्ट्रिकल निरीक्षणालय, ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, अनेर्ट, केरला स्टेट पवर फिनान्स कोरपरेशन आदि से संबंधित मसैदा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों का निर्गम, ऐसे रिपोर्टों का अनुसरण आदि एमजी II (मुख्या.) में किए जाएंगे। इलक्ट्रिकल निरीक्षणालय से संबंधित लेखापरीक्षा पैराएं यदि कोई हो, तो रिपोर्ट/एमजी I में संसाधित और प्रकाशित किए जाएंगे और बिजली विभाग, ऊर्जा प्रबंधन केंद्र तथा अनेर्ट से संबंधित रिपोर्ट (एमजी III) में और केरला स्टेट पवर फिनान्स कोरपरेशन से संबंधित रिपोर्ट (एमजी II) में संसाधित किए जाएंगे।

Vetting of Draft Inspection Reports, issue of Local Audit Reports, pursuance of such reports *etc.* in respect of Power Department, Electrical Inspectorate, Energy Management Centre, ANERT, Kerala State Power Finance Corporation *etc.* shall be done at AMG II (HQ). The Audit paras, if any, related to Electrical Inspectorate will be processed and featured in Report/AMG I and that related to Power Department, Energy Management Centre and ANERT in Report (AMG III) and that of Kerala State Power Finance Corporation in Report (AMG II).

5. ट्रांसपोर्ट विभाग तथा केरला रोड सेफ्टि फंड बोर्ड आदि से संबंधित क्षेत्रीय दौरे / मसैदा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों का निर्गम, ऐसे रिपोर्टों का अनुसरण आदि एमजी II (मुख्या.) में किए जाएंगे। लेखापरीक्षा पैराएं यदि कोई हो, तो रिपोर्ट (एमजी III) में संसाधित और प्रकाशित किए जाएंगे।

Field visit/vetting of Draft Inspection Reports, issue of Local Audit Reports, pursuance of such reports *etc.* in respect of Transport Department and Kerala Road Safety Fund Board *etc.* shall be done at AMG II (HQ). The Audit paras, if any, related to these entities will be processed and featured in Report (AMG III).

(प्रधान महालेखाकार के दि. 12.01.2024 के आदेशानुसार/Vide orders of PAG dated 12.01.2024)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एमजी -I)  
Senior Deputy Accountant General (Admn & AMG I)

16/1

16/1/2024

सेवा में / Copy to:

1. प्रमले के सचिव / Secretary to PAG
2. व.उप मले (प्रशासन एवं एएमजी -I) के नि.स./ PA to Sr. DAG (Admn & AMG-I)
3. उप मले (एएमजी -II) के व.नि.स./ Sr.PS to DAG (AMG-II)
4. उप.मले.( लेप.प्र.स.- III) के निजी सहायक/ PA to DAG (AMG-III)
5. सभी शाखा अधिकारीगण/ All Branch Officers
6. सभी अनुभाग/All Sections
7. सूचनापट्ट / Notice Board